279

(हरसिमरन सिंह सेठी, जे.)

हरसिमरन **सिंह सेठी से पहले, जे.**

एस. के. गुप्ता-याचिकाकर्ता

बनाम

सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक प्रतिवादीगण**-2014 का प्रतिवादीगण सीडब्ल्यूपी No.4695**

17 जनवरी, 2019

ए. भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 और 227-सी. सी. ए स

. (सी. सी. ए.) नियम, 1965-अनुशासनात्मक कार्यवाही-मृत कर्मचारी-पेंशन लाभ-आरोप पत्र वाले कर्मचारी की रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई-कानूनी उत्तराधिकारी आरोपों का प्रभावी ढंग से बचाव नहीं कर सकते-मृत्यु के बाद कोई जांच नहीं-पेंशन लाभ (ग्रेच्युटी) जारी किया जाएगा।

ख. भारत सरकार के निर्देश-बैंक कर्मचारियों के लिए प्रेरक मूल्य।

मान लिया कि एक बार जब एक कर्मचारी जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है, वह इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी ओर से कोई भी उन आरोपों का बचाव नहीं कर सकता है। केवल वही कर्मचारी है जिसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में तथ्यों की जानकारी होगी और वही कर्मचारी ठीक से अपना बचाव कर सकता है।उक्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद, कोई भी उन आरोपों का प्रभावी ढंग से बचाव नहीं कर सकता

है, जैसा कि कर्मचारी जीवित होता।जब तक बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक आरोप स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।वर्तमान मामले में, मृत्यु के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक कर्मचारी/कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी भी तरह से आरोप का बचाव करने का अवसर दिया जा सकता है।आरोपों का बचाव करने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि कथित आरोपों के संबंध में जानकारी भी संबंधित कर्मचारी के साथ गई है और इसलिए, संबंधित कर्मचारी की मृत्यु के बाद किसी भी जांच को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।(पैरा 12) आगे कहा कि, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों को प्रतिवादी-बैंक पर लागू नहीं किया जा सकता है, फिर भी निर्णय पर पहुंचने के लिए इसका एक प्रेरक मूल्य है।एक बार जब रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान भारत सरकार के किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है, यह नहीं कहा जा सकता है कि बैंक के मामले में उसी कानून का पालन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई विपरीत निर्देश न हों।इसके विपरीत कोई निर्देश नहीं बताया गया है।

जिसके तहत मृत कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।(पैरा 13) अशोक त्यागी, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता के लिए।

विपिन महाजन, प्रतिवादीगण के अधिवक्ता।

हरसिम्रन सिंह सेठी, जे.

(1) इस आदेश द्वारा, सी. डब्ल्यू. पी.-4695-2014 के साथ-साथ सी. डब्ल्यू. पी.-21107-2015 वाली रिट याचिका पर निर्णय लिया जा रहा है।दोनों याचिकाएं गुड़गांव ग्रामीण बैंक (अब सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक) के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा दायर की गई हैं।वर्तमान सी. डब्ल्यू. पी.-4695-2014 में, चुनौती 06.04.2013 दिनांकित आरोप पत्र और 04.07.2013 दिनांकित आदेश के लिए है जिसके द्वारा आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।सी. डब्ल्यू. पी.-21107-2015 में, वह भी याचिकाकर्ता द्वारा दायर, प्रार्थना उनकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन लाभ जारी करने के लिए है, जिसे याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण प्रतिवादीगण द्वारा बरकरार रखा जा रहा था।सुविधा के लिए, सी. डब्ल्यू. पी.-4695-2014 में उल्लिखित तथ्यों को लिया जा रहा है।रिट याचिका में किए गए कथन के अनुसार, याचिकाकर्ता 21.03.1977 पर प्रतिवादी-बैंक में शामिल हुआ और उसने वहां काम करना जारी रखा और 30.04.2012 पर एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में उक्त बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ।सेवानिवृत्ति के बाद, याचिकाकर्ता का सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं किया गया था।अंततः, कुछ अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया पाया गया था, याचिकाकर्ता को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से लगभग एक वर्ष की अवधि के बाद 06.04.2013 पर आरोप पत्र

देकर विभागीय जांच शुरू की गई थी।उक्त आरोप-पत्र को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(2) इस न्यायालय ने 12.03.2014 पर प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए दिनांकित 06.04.2013 के आरोप पत्र के संबंध में कार्यवाही पर रोक लगा दी।12.03.2014 दिनांकित आदेश को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है;

> "याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 30.04.2012 पर सेवा से सेवानिवृत्त हुआ और उस समय, उसके खिलाफ कोई जांच या कार्यवाही लंबित नहीं थी।विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि 06.04.2013 पर, याचिकाकर्ता को एक आरोप पत्र दिया गया था, जबकि, सेवानिवृत्ति के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है जैसा कि माननीय शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले है।
>
> 281
> (हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)
>
> यूको बैंक और अन्य बनाम राजिंदर लाल कपूर में माना गया है।
>
> 30.06.2014 के लिए प्रस्ताव की सूचना।

इस बीच, दिनांकित 06.04.2013 के आरोप पत्र के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही पर रोक रहेगी।"

(3) प्रतिवादीगण ने आरोप पत्र जारी करने को उचित ठहराते हुए एक जवाब दायर किया है और मामला इस न्यायालय के

समक्ष लंबित रहा ताकि यह तय किया जा सके कि क्या यूको बैंक में और अन्य बनाम राजेन्द्र लाल कपूर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए किसी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद आरोप पत्र जारी किया जा सकता है।

(4) इससे पहले कि इस न्यायालय द्वारा कोई राय बनाई जा सके, या तो याचिकाकर्ता के पक्ष में या प्रतिवादीगण के पक्ष में, दुर्भाग्य से, 28.07.2018 पर, याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई।उनकी मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को वर्तमान रिट याचिका में शामिल किया गया है।

(5) याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि चूंकि इस अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/3/2014 को देखते हुए आरोप पत्र के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी, अब याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद, उक्त कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है क्योंकि बैंक द्वारा दिनांकित 6/4/2013 आरोप पत्र में आरोप का बचाव करने वाला कोई नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता, जिसके खिलाफ आरोप पत्र में आरोप लगाए गए थे, पहले ही मर चुका है। अब विभाग उक्त आरोप पत्र के संबंध में इसे साबित करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है।

(6) उपरोक्त तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वकील ने भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली द्वारा 20 अक्टूबर, 1999 को जारी कार्यालय ज्ञापन पर भरोसा किया है, जिसके अनुसार, एक कर्मचारी जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई

है और उक्त कार्यवाही के दौरान, संबंधित कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही को कर्मचारी की मृत्यु पर तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए।प्रासंगिक निर्देश यहाँ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं;

"एफ. नं. 11012/7/99-एस्ट (ए)

भारत सरकार

1 2007(6) एससीसी 694 282

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा
2019(1)

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषयःसी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965-आरोपित अधिकारी की मृत्यु की स्थिति में अनुशासनात्मक मामलों को बंद करने से संबंधित प्रक्रिया।

"1. अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को यह कहने का निर्देश दिया जाता है कि इस विभाग को यह स्पष्ट करने के लिए संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि क्या सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 के तहत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शुरू किए गए अनुशासनात्मक मामलों को कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आरोपित अधिकारी की मृत्यु की स्थिति में बंद किया जा सकता है।सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि जहां एक सरकारी कर्मचारी की जांच के लंबित रहने के

दौरान मृत्यु हो जाती है, यानी उसके खिलाफ आरोप साबित हुए बिना, सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 के तहत निर्धारित किसी भी दंड को लागू करना उचित नहीं होगा।इसलिए कथित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अनुशासनात्मक कार्यवाही तुरंत बंद कर दी जानी चाहिए।

2. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, यह सी एंड एजी की सहमति से जारी किया जाता है।

(7) इसके अलावा, याचिकाकर्ता के वकील ने 1998 की सिविल अपील संख्या 4858 में सिरा निर्णय 17/9/1998 में हुआ। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसका शीर्षक बासुदेव तिवारी बनाम सिडो कान्हू विश्वविद्यालय 2 है, जिसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के दौरान एक कर्मचारी की मृत्यु के मामले में कहा है कि मृत्यु के बाद आगे कोई जांच नहीं की जा सकती है।उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद-12 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है;

" अपीलार्थी ने इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है, आगे की जांच या बहाली के बारे में कोई और निर्देश नहीं दिया जा सकता है।हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की समाप्ति अमान्य है।नतीजतन, यह माना जाएगा कि अपीलार्थी की मृत्यु हो गई थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलार्थी अपने द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर अपनी सेवाओं की समाप्ति की तारीख से अपनी मृत्यु की तारीख तक वेतन के बकाया भुगतान

का हकदार होगा।प्रत्यर्थी को आज से तीन महीने की अवधि के भीतर कार्रवाई करने दें ताकि अपीलार्थी को उसकी समाप्ति की तारीख से उसकी मृत्यु तक बकाया राशि का भुगतान किया जा सके और उस के कानूनी प्रतिनिधियों को भुगतान किया जा सके।"

(8) याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि उपरोक्त मामले का निर्णय लेते समय, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी की मृत्यु के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों को सभी लाभ जारी करने का निर्देश दिया।(9) प्रतिवादीगण के वकील का कहना है कि एक कर्मचारी की मृत्यु से कार्यवाही में कमी नहीं आएगी और कानूनी उत्तराधिकारी जांच में भाग ले सकते हैं और इसे तार्किक अंत तक ले जाया जा सकता है।(10) प्रतिवादीगण के वकील आगे कहते हैं कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय अलग-अलग तथ्यों में है और भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र को किसी स्वायत्त संस्थान पर लागू नहीं किया जा सकता है।

(11) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

(12) एक बार जब कोई कर्मचारी जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है, इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उसकी ओर से कोई भी उन आरोपों का बचाव नहीं कर सकता है।केवल कर्मचारी को ही अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में तथ्यों की जानकारी होगी और वही कर्मचारी ठीक से अपना बचाव कर सकता है।उक्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद, कोई भी उन आरोपों का प्रभावी ढंग से बचाव नहीं कर सकता है, जैसा कि कर्मचारी जीवित होता।जब तक बचाव का उचित अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक आरोप

स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। वर्तमान मामले में, मृत्यु के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक कर्मचारी/कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी भी तरह से आरोप का बचाव करने का अवसर दिया जा सकता है।आरोपों का बचाव करने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि कथित आरोपों के संबंध में जानकारी भी संबंधित कर्मचारी के साथ गई है और इसलिए, संबंधित कर्मचारी की मृत्यु के बाद किसी भी जांच को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(13) इसके अलावा, भले ही प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील का तर्क सही हो सकता है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों को प्रत्यर्थी पर लागू नहीं किया जा सकता है-फिर भी बैंक का निर्णय पर पहुंचने के लिए एक प्रेरक मूल्य है।एक बार जब भारत सरकार के किसी कर्मचारी की रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है, यह नहीं कहा जा सकता है कि बैंक के मामले में उसी कानून का पालन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि

कोई भी विपरीत निर्देश हैं।इसके विपरीत कोई निर्देश नहीं दिया गया है जिसके तहत मृत कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।इसलिए, प्रत्यर्थी के वकील द्वारा उठाई गई दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि 20.10.1999 दिनांकित निर्देशों को लागू नहीं किया जाना चाहिए।इसके अलावा, कुछ ऐसी

ही परिस्थितियों में, जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई, बसुदेव तिवारी के मामले (ऊपर) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद कोई भी जांच कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में मृतक कर्मचारी की पात्रता जारी करने के निर्देश जारी किए।

(14) यही स्थिति हो, इस न्यायालय का विचार है कि 28.07.2018 पर याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद, अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है।यह तथ्य की बात है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 12.03.2014 द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके तहत इस न्यायालय द्वारा आरोप पत्र के संबंध में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद दिनांकित 06.04.2013 के आरोप पत्र के अनुसरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(15) 2015 के सी. डब्ल्यू. पी.-21107 में, याचिकाकर्ता ने पेंशन लाभ (केवल उपदान) जारी करने के लिए अनुरोध किया था, जिसे लंबित कार्यवाही के कारण विभाग द्वारा रोका जा रहा था, अर्थात दिनांकित 06.04.2013 का आरोप पत्र।

(16) अब, एक बार जब न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादीगण दिनांकित 6/4/2013 आरोप-पत्र के संबंध में मृत कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और वही कार्यवाही समाप्त हो

गई है, तो बैंक को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में उपदान जारी करने का निर्देश जारी किया जाता है।यदि कोई अन्य लाभ है जिसके लिए मृतक-कर्मचारी हकदार था, तो कानूनी उत्तराधिकारी बैंक से उसी का दावा करने के लिए एक अभ्यावेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसके अभ्यावेदन पर एक बोलने वाला आदेश पारित करके उपदान जारी करने के समय भी विचार किया जाएगा।

(17) रिट याचिका का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरणः— स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक ओर अधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अगेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यालय के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

विक्रांत